निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 140 / 2023(रे0वाद)
दायर दिनांक – 21 / 12 / 2023
निर्णय दिनांक –08 / 01 / 2025

अनवान

1. हरिशकुमार पिता अक्खाराम आयु 60 वर्ष जाति रेगर ग्राम मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द
2. भंवरलाल पिता अखा आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. मिठालाल पिता अखा आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला तहसील देवगढ की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 खाता संख्या 272 आराजी नम्बर 1203 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1204 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1206 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1207 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1215 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1216 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.9600 हैक्टेयर स्थित होकर वादी सह खातेदार में हरीशचन्द्र पिता अखा गलत दर्ज है। जबकि हरिशकुमार पिता अक्खाराम होना चाहिये। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 247 में क्रम संख्या 3 पर हरिशचन्द्र पिता अखा नाम गलत है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 247 में क्रम संख्या 3 पर हरिशचन्द्र पिता अखा नाम गलत है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर (राज.) राजसमन्द

पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम हरिशचन्द्र दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरो के कहने से नाम हरिशचन्द्र बता दिया गया है जिससे मेरा वास्तविक नाम हरीशकुमार था। हरीशकुमार के बजाय राजस्व रेकार्ड में हरिशचन्द्र दर्ज हो गया है उसको दुरस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश है। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम हरिशचन्द्र दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरो के कहने से नाम हरिशचन्द्र बता दिया गया है जिससे मेरा वास्तविक नाम हरीशकुमार के बजाय राजस्व रेकार्ड में हरिशचन्द्र दर्ज हो गया है उसको दुरस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश है। मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड , वोटर आई. डी., आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड में मेरा नाम हरीशकुमार पिता अक्खाराम दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है एवं हरिशचन्द्र पिता अखा के नाम का कोई पुत्र नही है। केवल हरीशकुमार ही पुत्र है। मुझे कृषि भुमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई। भुमि का नामान्तरकरण के समय में नाबालिग था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम हरिशचन्द्र भुल से लिखा गया है जबकि मेरा नाम हरीशकुमार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला में जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 में वादी की खाता संख्या 247 में हरिशचन्द्र पिता अखा गलत है जबकि हरीशकुमार पिता अक्खाराम होना चाहिये। व हरिशचन्द्र नाम का कोई पुत्र नही है व ताईद में शपथ पत्र, राशन कार्ड , जनआधार कार्ड , वोटर आई. डी., आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड संलग्न है। वादी के रेकार्ड में सुधार कर हरिशचन्द्र पिता अखा के बजाय हरिशकुमार पिता अक्खाराम दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 एवं 03 द्वारा सकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। जवाब में उल्लेख किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है एवं हमारे सगे भाई है। जिनका नाम भूमि में गलत दर्ज हुआ है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

वास्तविक नाम हरिशकुमार ही है। अतः वाद को स्वीकार कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय पटवारी हल्का मियाला की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल फाइल की गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में उल्लेख आया कि राजस्व ग्राम आसन के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 247 में हरीशचन्द्र पुत्र अखा जाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार हरीशकुमार पुत्र अखाराम जाति रेगर के संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड व मौका पर्चा अनुसार नाम हरीशकुमार पुत्र अखाराम जाति रेगर दर्ज है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला तहसील देवगढ की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 खाता संख्या 272 आराजी नम्बर 1203 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1204 क्षेत्रफल 0. 1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1206 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1207 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1215 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1216 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.9600 हैक्टेयर स्थित होकर वादी सह खातेदार में हरीशचन्द्र पिता अखा गलत दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम हरिशकुमार पिता अक्खाराम होना चाहिये। वादी अधिवक्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मियाला का प्रमाण–पत्र, आधार–कार्ड, जनाधार–कार्ड, राशन–कार्ड, बैंक पास–बुक, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, ई–श्रम कार्ड एवं आयकर विभाग का पेन–कार्ड प्रस्तुत किया सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम हरिश कुमार पिता अखाराम अंकित है जो कि सही है। साथ ही मिठालाल पिता अखा एवं भंवरलाल पिता अखा का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:–

सहायक कलेक्टर, देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला में खाता संख्या 247 वादी का नाम हरिशचन्द्र पिता अखा हटाकर उसके स्थान पर हरिशकुमार पिता अक्खाराम राजस्व

सहायक कलेक्टर, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 08 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

हरिशकुमार बनाम सरकार
140 / 2023 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक 08 / 01 / 2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 140 / 2023

अनवान

1. हरिशकुमार पिता अक्खाराम आयु 60 वर्ष जाति रेगर ग्राम मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द
2. भंवरलाल पिता अखा आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. मिठालाल पिता अखा आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 08 / 01 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम आसन पटवार मण्डल मियाला में खाता संख्या 247 वादी का नाम हरिशचन्द्र पिता अखा हटाकर उसके स्थान पर हरिशकुमार पिता अक्खाराम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर देवगढ़ जिला राजसमन्द

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द
सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द